संलग्नक-4

संख्या ए-1-2774/दस-15-1 (1)-83

प्रेषक,

श्री जी० एस० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 1983।

विषय:—सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये गैर सरकारी फर्मों को अग्रिम भुगतान।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये अथवा सामान की पूर्ति के लिये गैर-सरकारी पार्टियों को अग्रिम भुगतान करने से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृति के लिये फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खंड 5, भाग-1 के पैरा 162 के अनुसार वित्त विभाग में भेजे जाते हैं। सामान्य तौर से, की गई मरम्मत अथवा पूर्ति के लिये भुगतान मरम्मत अथवा पूर्ति हो चुकने पर ही की जानी चाहिये। परन्तु यदि फर्में अग्रिम भुगतान के लिये ही जोर दें तो फर्मों की मांग पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। प्रशासनिक विभागों से आने वाले प्रस्ताव सामान्यतः निम्नलिखित किस्म के अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित होते हैं:—

(1) उन फर्मों द्वारा मांगे गये अग्रिम जिनसे टाइपराइटरों, टेलीफोनों, इत्यादि की मरम्मत के लिये वार्षिक इकरारनामे किये जाते हैं। प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध फर्मों द्वारा पेश की गई शर्तों में सामान्यतः अग्रिम भुगतान के लिये आग्रह रहता है।

(2) सामान की पूर्ति के लिये फर्मों तथा राज्य व्यापार निगम जैसे सरकार द्वारा संचालित संगठनों द्वारा मांगे गये अग्रिम भुगतान।

(3) अदालतों की फीस तथा मध्यस्थों (आरबिट्रेटर्स) की फीस के भुगतान।

2—राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-15-1 (1)/69-वि०वि०ले०-1, दिनांक 20 अप्रैल, 1970 पर पुनः विचार करते हुए तथा उसका आंशिक रूप से संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया है कि प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित प्रकार के अग्रिम भुगतान, निम्नलिखित शर्तें पूरी होने की हालत में कर सकते हैं:—

(1) अग्रिम भुगतान केवल उन्हीं मामलों में किये जायें जिनमें ऐसा करना सर्वथा आवश्यक समझा जाय तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक न हो।

(2) अग्रिम भुगतान, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की गई व्यय की वैध मंजूरी के आधार पर किया जाय।

(3) अग्रिम भुगतान की रकम किसी भी एक मामले में 25,000 रु० से अधिक न हो।

(4) सामान की पूर्ति सम्बन्धी इकरारनामें के मामले में अग्रिम भुगतान की रकम रवाना किये जा चुके या तत्काल रवाना किये जा रहे सामान के मूल्य से 90 प्रतिशत तक सीमित रखी जायगी, और बाकी भुगतान सामान की अच्छाई सम्बन्धी निरीक्षण करने और उसके रवाना कर दिये जाने का प्रमाण पाने पर ही किया जायेगा। मरम्मत सम्बन्धी इकरारनामों में अग्रिम की रकम इकरारनामों के अनुसार एक वर्ष में देय रकम से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(5) फर्म सुप्रतिष्ठित हो और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हो।

(6) सरकारी हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई हो और सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी इस संबंध में पूर्णतः सन्तुष्ट हो। फर्म से इकरारनामा अवश्य लिखवा लिया जाय, जिसमें वे शर्तें निहित हों जिनके अधीन अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो। इकरारनामें में अनुलग्नक में उल्लिखित शर्तों को अवश्य शामिल कर लिया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इकरारनामें के शर्तों के बारे में सरकार के विधायिका विभाग से परामर्श कर लेना चाहिये।

(7) सामान की पूर्ति करने वालों को अग्रिम भुगतान करने के लिये जो अधिकारी धन निकालेगा वही उसके समायोजन के लिये जिम्मेदार होगा। इसके लिये वह अग्रिम धन निकालने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर ब्योरेवार बिल महालेखाकार के पास भेजेगा। यदि अग्रिम धन निकालने के एक माह के अन्दर अग्रिम का समायोजन संभव न हो तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को भेजी जाय। परन्तु हर दशा में सभी निकाले गये अग्रिमों का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य कर लिया जाय।

(8) किसी भी फर्म/पूर्ति करने वाले को अग्रिम भुगतान करने के लिये दूसरी रकम तब तक नहीं निकाली जायेगी जब तक कि उस फर्म/पूर्ति करने वाले को, यदि पहिले कोई अग्रिम भुगतान किया गया हो, उस रकम का समायोजन नहीं हो जाता।

(9) अग्रिम आहरण के बिल पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय—

"प्रमाणित किया जाता है कि पिछले माह की पहली तारीख से पूर्व संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (Abstrct Contingent Bill) पर आहरित सभी अग्रिम धनराशियों का समायोजन कर लिया गया है और ब्योरेवार आकस्मिक व्यय बिल (Detailed Contingent Bill) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर जिनमें नियम अथवा शासनादेश में एक माह से अधिक की अवधि में अग्रिमों का समायोजन किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है महालेखाकार उत्तर प्रदेश/नियन्त्रक अधिकारी को भेज दिये गये हैं"।

(10) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के तीन माह अर्थात् अप्रैल, मई और जून में अग्रिम आहरण के बिलों पर इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय कि पिछले वर्ष में आहरित सभी अग्रिमों का समायोजन कर लिया गया है तथा ब्योरेवार आकस्मिक व्यय बिल महालेखाकार/नियंत्रक अधिकारी को भेज दिये गये हैं।

(11) यह भी ध्यान रखा जाय कि व्यय की गई कुल धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अधिक न हो जाय।

(12) अग्रिम की रकम उस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शायी जायेगी जिसके नामे अन्ततोगत्वा उक्त पूर्ति अथवा मरम्मत आदि के काम पर किया गया व्यय डाला जायेगा।

3—इस संबंध में मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि पेट्रोल और डीजल आदि का क्रय भी सामान की आपूर्ति के अन्तर्गत आता है। अतः पेट्रोल, डीजल के नकद क्रय किये जाने हेतु भी धनराशि अग्रिम के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत आहरित की जा सकती है। तदनुसार अब शासनादेश संख्या ए-1-1550/दस-10 (27)-82, दिनांक 30-5-83 अतिक्रमित समझा जाय।

4—उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अन्तर्गत न आने वाले अग्रिम भुगतानों के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,
जी0 एस0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

संख्या ए-1-2774 (1)/दस-15-1 (1)-69, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-i, ii तथा iii, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जी0 एस0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या ए–1–2774/वस–15/1(1)/69, दिनांक 25–10–83 का अनुलग्नक

"When the Contractor abandons the work/supplies before its due completion or when the contract is determined under the provisions of the contract or when under the provisions of the contract the work/supplies is/are taken out of the contractor's hands to be executed/made by the Govrnment or by other persons at the risk and expense of the contractor, then and in any such case the amount of the advance which remains unaccounted for under the provisions of the contract against the work done/supplies made shall be forthwith repaid by the contractor to the Governor together with interest thereon at twelve per cent per annum from the date of abondonment, determination or taking the work/supplies out of the contractor's hands as hereinbefore provided to the date of repayment of the full amount. The contractor further agrees that he shall, in addition, pay to the Governor all the costs, charges and expenses incurred by the Governor towards the recovery thereof".

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 183 सा० वित्त—2–2–88—(3921)–1988–1,000 (प्रे०)।